**भारत सरकार**
**महिला एवं बाल विकास मंत्रालय**

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 4630**
दिनांक 28 मार्च, 2025 को उत्तर के लिए

**रक्ताल्पता और कुपोषण**

**4630. श्री राजीव राय:**

**श्री हनुमान बेनीवाल:**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के बावजूद देश में रक्ताल्पता से पीड़ित महिलाओं तथा कुपोषण से पीड़ित बच्चों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है, और यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान सहित राज्यवार ऐसे मामलों की संख्या कितनी है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त समस्याओं से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं की योजनावार और राज्यवार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत उत्तर प्रदेश और राजस्थान सहित देश में राज्यवार आवंटित/उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या उक्त योजनाओं के कार्यान्वयन के कारण वर्ष 2022-23 और 2023-24 में उत्तर प्रदेश के मऊ जिले और राजस्थान में रक्ताल्पता से पीड़ित महिलाओं और कुपोषण से पीड़ित बच्चों की संख्या में कोई कमी दर्ज की गई है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**
**महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री**
**(श्रीमती सावित्री ठाकुर)**

(क) से (घ): 15वें वित्त आयोग के तहत, कुपोषण की चुनौती से निपटने के लिए आंगनवाड़ी सेवाएं, पोषण अभियान और किशोरियों (आकांक्षी जिलों एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र में 14-18 वर्ष की) के लिए योजना जैसे विभिन्न घटकों को व्यापक मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0) के अंतर्गत शामिल किया गया है। यह एक केंद्र प्रायोजित मिशन है जिसकी विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की है। यह मिशन एक सार्वभौमिक स्व-चयनित अम्ब्रेल्ला योजना है जिसे राजस्थान सहित सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में क्रियान्वित किया जा रहा है।

पोषण केवल खाना खाने तक ही सीमित नहीं है; इसके लिए उचित पाचन, अवशोषण और चयापचय आवश्यक होते हैं जो स्वच्छता, शिक्षा और स्वच्छ पेयजल तक पहुंच जैसे कारकों से प्रभावित होते हैं। चूंकि कुपोषण से निपटने के लिए भोजन, स्वास्थ्य, पानी, स्वच्छता और शिक्षा के आयामों को शामिल करने का बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण आवश्यक होता है, इसलिए कुपोषण के मुद्दे का प्रभावी ढंग से समाधान करना महत्वपूर्ण है। मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत 18 मंत्रालयों/विभागों के बीच परस्पर (क्रॉस कटिंग) तालमेल करके कुपोषण की चुनौतियों का समाधान किया जा रहा है।

मिशन पोषण 2.0 के तहत सामुदायिक सहभागिता, आउटरीच, व्यवहार परिवर्तन और प्रचार-प्रसार जैसे कार्यकलापों के माध्यम से कुपोषण को कम करने तथा स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती एवं प्रतिरक्षा में सुधार के लिए एक नई कार्यनीति बनाई गई है। इसमें मातृ पोषण, शिशु और छोटे बच्चों के आहार मानदंडों, गंभीर तीव्र कुपोषण (एसएएम)/मध्यम तीव्र कुपोषण (एमएएम) के उपचार और आयुष पद्धतियों के माध्यम से तंदुरुस्ती पर ध्यान केंद्रित किया जाता है ताकि कुपोषण, ठिगनेपन, रक्ताल्पता और अल्प वजन के प्रसार को कम किया जा सके।

इस मिशन के तहत बच्चों (6 महीने से 6 वर्ष), गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों को पूरक पोषण दिया जाता है ताकि जीवन चक्र दृष्टिकोण अपनाकर पीढ़ियों से चले आ रहे कुपोषण के चक्र को समाप्त किया जा सके। पूरक पोषण, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की अनुसूची-II में निहित पोषण मानदंडों के अनुसार प्रदान किया जाता है। इन मानदंडों को पिछले वर्ष संशोधित और उन्नयित किया गया है। पुराने मानदंड काफी हद तक कैलोरी-विशिष्ट थे, तथापि, संशोधित मानदंड आहार विविधता के सिद्धांतों पर आधारित पूरक पोषण की मात्रा और गुणवत्ता के मामलों

में अधिक व्यापक और संतुलित हैं। इनमें गुणवत्तापूर्ण प्रोटीन, स्वास्थ्यकर वसा और सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रावधान किया गया है।

महिलाओं और बच्चों में रक्ताल्पता को नियंत्रित करने और सूक्ष्म पोषक तत्वों की जरूरत की पूर्ति करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों को फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति की जा रही है। आंगनवाड़ी केंद्रों पर सप्ताह में कम से कम एक बार पका हुआ गर्म भोजन तैयार करने और टेक होम राशन (टीएचआर) में मिलेट (श्री अन्न) के उपयोग पर अधिक जोर दिया जा रहा है।

महिला एवं बाल विकास और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालयों ने बच्चों में गंभीर तीव्र कुपोषण को रोकने और उसका उपचार करने तथा इससे जुड़ी रुग्णता एवं मृत्यु दर को कम करने के लिए सामुदायिक कुपोषण प्रबंधन (सीएमएएम) के लिए संयुक्त रूप से दिशानिर्देश(प्रोटोकॉल) जारी किया है।

इस मिशन के अंतर्गत पोषण संबंधी पहलुओं के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए सामुदायिक जुटाव और जागरूकता, प्रचार-प्रसार एक प्रमुख कार्यकलाप है क्योंकि  पोषण की अच्छी आदतें अपनाने के लिए व्यवहार में बदलाव लाने के लिए सतत प्रयास करने की आवश्यकता है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र क्रमशः सितंबर और मार्च-अप्रैल के महीने में मनाए जाने वाले पोषण माह और पोषण पखवाड़ा के दौरान सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रमों के तहत नियमित रूप से जागरूकता कार्यकलापों का आयोजन और रिपोर्टिंग कर रहे हैं। समुदाय आधारित कार्यक्रमों (सीबीई) ने पोषण पद्धतियों को बदलने में एक महत्वपूर्ण कार्यनीति का काम किया है और सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को प्रत्येक महीने समुदाय आधारित दो कार्यक्रम आयोजित करने होते हैं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत जीवन चक्र दृष्टिकोण में प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल, किशोर स्वास्थ्य और पोषण (आरएमएनसीएएच+एन) कार्यनीति को क्रियान्वित कर रहा है जिसमें देश के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कुपोषण और एनीमिया को दूर करने के लिए समाधान शामिल हैं। इनमें से एक घटक एनीमिया मुक्त भारत है।

एनीमिया मुक्त भारत (एएमबी) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। इसे 2018 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य छह लक्षित लाभार्थियों- 6-59 महीने तथा 5-9 वर्ष के बच्चों, 10-19 साल के किशोरों, प्रजनन आयु वर्ग की महिलाओं, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के बीच 6X6X6 कार्यनीतियों द्वारा कार्यान्वित कर सभी हितधारकों के लिए छह संस्थागत

तंत्रों के माध्यम से कार्यान्वित छह कार्यकलापों के माध्यम से एनीमिया के प्रसार को कम करना है। एएमबी कार्यनीति के छह कार्यकलापों में निम्नलिखित शामिल हैं:

1. सभी छह लाभार्थियों को रोगनिरोधी आयरन और फोलिक एसिड (आईएफए) अनुपूरण।
2. कृमि मुक्ति।
3. चार प्रमुख व्यवहारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए तीव्र व्यवहार परिवर्तन संचार अभियान- आईएफए अनुपूरण और कृमि मुक्ति के अनुपालन में सुधार, शिशु और छोटे बच्चों को खिलाने की उचित पद्धति, आहार विविधता/मात्रा/आवृत्ति और/या फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों के माध्यम से आयरन युक्त खुराक में वृद्धि और स्वास्थ्य सुविधाओं में देरी से गर्भनाल को बंद करना सुनिश्चित करना।
4. डिजिटल तरीकों और देखरेख उपचार बिंदु का उपयोग करके एनीमिया का परीक्षण और उपचार,
5. सरकार द्वारा वित्त पोषित सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में आयरन और फोलिक एसिड फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों का अनिवार्य प्रावधान।
6. एनीमिया के गैर-पोषण कारणों के बारे में जागरूकता, जांच और उपचार को तेज करना।

एनीमिया और कुपोषण से निपटने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की अन्य पहलों का विवरण अनुलग्नक-। में दिया गया है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 1992-93 से किए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के विभिन्न दौर भी भारत भर में बच्चों में कुपोषण संकेतकों में सुधार दर्शाते हैं। एनएफएचएस-1 से एनएफएचएस-5 तक बच्चों के लिए इन संकेतकों का विवरण इस प्रकार है:

| **एनएफएचएस सर्वेक्षण** | **ठिगनापन %** | **अल्प वजन %** | **दुबलापन %** |
|---|---|---|---|
| एनएफएचएस-1 (1992-93)* | 52 | 53.4 | 17.5 |
| एनएफएचएस-2 (1998-99)** | 45.5 | 47 | 15.5 |
| एनएफएचएस-3 (2005-06)*** | 48.0 | 42.5 | 19.8 |
| एनएफएचएस-4 (2015-16)*** | 38.4 | 35.8 | 21.0 |
| एनएफएचएस-5 (2019-21)*** | 35.5 | 32.1 | 19.3 |

* 4 वर्ष से कम

** 3 वर्ष से कम

*** 5 वर्ष से कम

उपर्युक्त तालिका में साथ 0-3 वर्ष, 0-4 वर्ष और 0-5 वर्ष आयु के सभी बच्चों में संगत समय कुपोषण संकेतकों की तस्वीर प्रस्तुत करती है।

वर्ष 2021 में भारत में 5 वर्ष तक के सभी बच्चों की अनुमानित जनसंख्या लगभग 13.75 करोड़ थी (स्रोत: भारत और राज्यों के लिए जनसंख्या अनुमान 2011-2036, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय)। तथापि, फरवरी 2025 के आंकड़ों के अनुसार, 5 वर्ष तक के केवल 7.49 करोड़ बच्चे ही आंगनवाड़ियों में नामांकित और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पोषण ट्रैकर पर पंजीकृत थे। इनमें से 7.25 करोड़ बच्चों के कद और वजन में वृद्धि संबंधी मापदंडों पर मापन किया गया। इनमें से 39.09% बच्चे ठिगने, 16.60% बच्चे अल्प वजन के और 5.35% बच्चे दुबले पाए गए।

इसके अलावा, वर्ष 2021 में भारत में 6 वर्ष तक के सभी बच्चों की अनुमानित जनसंख्या लगभग 16.1 करोड़ थी। पोषण ट्रैकर के फरवरी 2025 के आंकड़ों के अनुसार, 8.80 करोड़ बच्चे (0-6 वर्ष) आंगनवाड़ियों में नामांकित थे जिनमें से 8.52 करोड़ बच्चों की कद और वजन में वृद्धि संबंधी मापदंडों पर मापन किया गया। इनमें से 37.75% बच्चे (0-6 वर्ष) ठिगने पाए गए और 17.19% बच्चे (0-6 वर्ष) अल्प वजन के पाए गए।

2021 में विश्व बैंक ने 11 प्राथमिकता वाले राज्यों (आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश), जहाँ एनीमिया और ठिगनेपन की दर सर्वाधिक थी, में एक सर्वेक्षण किया। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य पोषण सेवाओं की प्रदायगी के कार्यक्रम का आकलन करना था, कि क्या लाभार्थियों के पोषण संबंधी जानकारी में सुधार हुआ है और क्या उन्होंने अधिक उपयुक्त पोषण और भोजन पद्धतियों को अपनाया है।

निष्कर्षों से पता चला कि पोषण अभियान के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाएं - प्रासंगिक संदेशों की प्राप्ति, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा घर का दौरा, और समुदाय आधारित कार्यक्रमों में उपस्थिति - बेहतर पोषण व्यवहार से जुड़ी थीं। सर्वेक्षण में यह भी पाया गया कि कार्यक्रम के पोषण संदेश 80% से अधिक महिलाओं तक पहुँचे और 81% महिलाओं ने पहले छह महीनों तक केवल स्तनपान कराया।

राजस्थान और उत्तर प्रदेश के मऊ जिले सहित कुपोषण संकेतकों का राज्यवार विवरण अनुलग्नक-II में है।

राजस्थान और उत्तर प्रदेश के मऊ जिले सहित एनीमिया से पीड़ित महिलाओं का राज्यवार विवरण अनुलग्नक-III में दिया गया है।

मिशन पोषण 2.0 के अंतर्गत लाभार्थियों का राज्यवार विवरण अनुलग्नक-IV में दिया गया है।

उत्तर प्रदेश और राजस्थान सहित सभी राज्यों को आवंटित निधि का विवरण अनुलग्नक-V में दिया गया है।

*****

**अनुलग्नक-I**

श्री राजीव राय और श्री हनुमान बेनीवाल द्वारा "एनीमिया और कुपोषण" के संबंध में दिनांक 28.03.2025 को पूछे गए लोक सभा प्रश्न संख्या 4630 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

एनीमिया और कुपोषण से निपटने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की अन्य पहलें इस प्रकार हैं:

i. **सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में पोषण पुनर्वास केंद्र (एनआरसी)** स्थापित किए जाते हैं ताकि चिकित्सा जटिलताओं वाले गंभीर तीव्र कुपोषण (एसएएम) पीड़ित 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को इन-पेशेंट चिकित्सा और पोषण संबंधी देखरेख प्रदान की जा सके। उपचारात्मक देखरेख के अलावा, बच्चों के लिए समय पर, पर्याप्त और उचित आहार; माताओं और देखरेख करने वालों के कौशल में सुधार करके पूरी तरह से आयु-अनुकूल देखरेख और आहार संबंधी पद्धति में सुधार पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

ii. **स्तनपान कवरेज में सुधार के लिए माताओं का पूर्ण स्नेह (एमएए)** कार्यक्रम कार्यान्वित किया गया है। इसमें स्तनपान की प्रारंभिक शुरुआत और पहले छह महीनों के लिए केवल स्तनपान कराना शामिल है जिसके बाद आयु-अनुकूल पूरक आहार पद्धति पर परामर्श दिया जाता है।

iii. **राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस (एनडीडी)** के तहत सभी बच्चों और किशोरों (1-19 वर्ष) में मृदा संचारित कृमि (एसटीएच) संक्रमण को कम करने के लिए स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम दो बार (फरवरी और अगस्त) में एक निश्चित दिन पर एल्बेंडाजोल की गोलियां दी जाती हैं। एनडीडी के दौरान, आशा कार्यकर्ता बच्चों और किशोरों को एल्बेंडाजोल देने के लिए स्कूल और आंगनवाड़ी केन्द्रों तक ले जाती हैं।

iv. **स्तनपान प्रबंधन केंद्र:** व्यापक स्तनपान प्रबंधन केंद्र (सीएलएमसी) ऐसी सुविधा है जिसे नवजात गहन देखरेख इकाइयों और विशेष नवजात शिशु देखरेख इकाइयों में भर्ती बीमार, समय से पहले जन्मे और अल्प वजन वाले शिशुओं को पिलाने के लिए सुरक्षित, पाश्चुरीकृत डोनर ह्यूमन मिल्क की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए स्थापित हैं। स्तनपान प्रबंधन इकाई (एलएमयू) की स्थापना माताओं को स्तनपान सहायता प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य केंद्र के भीतर ही की जाती है ताकि मां के दूध को उसके बच्चे के उपभोग के लिए संग्रहित और वितरित किया जा सके।

v. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से मातृ एवं बाल स्वास्थ्य सेवाओं के प्रावधान और पोषण सहित मातृ एवं बाल देखरेख के बारे में जागरूकता सृजन **ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण दिवस (वीएचएसएनडी)** मनाए जाते हैं। वीएचएसएनडी के दौरान, आशा कार्यकर्ता लाभार्थियों और समुदाय को मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के लाभ के लिए वीएचएसएनडी स्थल पर लाती हैं।

**अनुलग्नक-II**

श्री राजीव राय और श्री हनुमान बेनीवाल द्वारा "एनीमिया और कुपोषण" के संबंध में दिनांक 28.03.2025 को पूछे गए लोक सभा प्रश्न संख्या 4630 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

(क) राजस्थान राज्य सहित देश में बच्चों (0-5 वर्ष) के संबंध में पोषण ट्रैकर द्वारा फरवरी 2023, फरवरी 2024 एवं फरवरी 25 के कुपोषण संकेतकों का राज्यवार विवरण इस प्रकार है:

| | | **फरवरी-23** | | | **फरवरी-24** | | | **फरवरी -25** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **क्र. सं.** | **राज्य** | **ठिगनापन%** | **दुबलापन%** | **अल्पवजन%** | **ठिगनापन%** | **दुबलापन%** | **अल्पवजन%** | **ठिगनापन%** | **दुबलापन%** | **अल्पवजन%** |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 20.00 | 4.95 | 9.69 | 20.30 | 5.49 | 9.77 | 18.27 | 4.83 | 7.91 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 32.07 | 4.90 | 12.50 | 30.26 | 4.72 | 8.97 | 37.18 | 4.54 | 10.76 |
| 3 | असम | 38.76 | 7.17 | 18.27 | 40.28 | 4.50 | 15.63 | 42.79 | 4.12 | 16.41 |
| 4 | बिहार | 41.60 | 10.52 | 25.10 | 41.44 | 9.99 | 23.25 | 47.33 | 9.58 | 24.09 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 37.40 | 13.54 | 17.11 | 33.57 | 9.90 | 15.20 | 26.20 | 6.96 | 13.35 |
| 6 | गोवा | 25.79 | 6.03 | 11.17 | 18.36 | 2.37 | 5.56 | 7.51 | 1.10 | 2.46 |
| 7 | गुजरात | 51.80 | 7.69 | 22.43 | 43.48 | 8.30 | 19.82 | 36.53 | 7.95 | 19.84 |
| 8 | हरियाणा | 30.74 | 7.33 | 12.49 | 26.40 | 4.98 | 7.90 | 27.63 | 4.17 | 8.38 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 25.05 | 3.47 | 8.97 | 19.79 | 1.88 | 5.93 | 19.47 | 2.07 | 6.31 |
| 10 | झारखंड | 40.40 | 9.70 | 23.09 | 41.52 | 7.86 | 18.58 | 43.91 | 6.39 | 19.14 |

| | | फरवरी-23 | | | फरवरी-24 | | | फरवरी -25 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **क्र. सं.** | **राज्य** | **ठिगनापन%** | **दुबलापन%** | **अल्पवजन%** | **ठिगनापन%** | **दुबलापन%** | **अल्पवजन%** | **ठिगनापन%** | **दुबलापन%** | **अल्पवजन%** |
| 1 | कर्नाटक | 39.41 | 8.41 | 19.95 | 40.72 | 7.86 | 18.33 | 41.20 | 3.68 | 17.61 |
| 12 | केरल | 35.73 | 8.70 | 14.43 | 32.93 | 3.20 | 9.41 | 37.05 | 2.93 | 10.30 |
| 13 | मध्य प्रदेश | 54.12 | 7.69 | 26.22 | 41.26 | 6.47 | 21.89 | 46.60 | 7.04 | 25.42 |
| 14 | महाराष्ट्र | 46.06 | 7.11 | 19.83 | 48.63 | 5.42 | 18.19 | 44.45 | 3.80 | 14.63 |
| 15 | मणिपुर | 17.76 | 1.64 | 7.48 | 16.89 | 1.55 | 7.97 | 9.69 | 0.66 | 2.77 |
| 16 | मेघालय | 28.42 | 2.49 | 8.01 | 22.94 | 1.39 | 5.22 | 19.02 | 0.92 | 4.21 |
| 17 | मिजोरम | 22.08 | 4.05 | 6.51 | 24.64 | 3.26 | 6.21 | 29.53 | 2.49 | 6.44 |
| 18 | नागालैंड | 42.86 | 6.43 | 12.14 | 27.02 | 5.52 | 7.16 | 31.15 | 5.61 | 7.26 |
| 19 | ओडिशा | 31.17 | 5.00 | 14.62 | 28.17 | 3.60 | 12.27 | 28.95 | 2.98 | 11.88 |
| 20 | पंजाब | 26.05 | 7.39 | 12.35 | 18.65 | 4.11 | 6.69 | 20.67 | 3.50 | 6.49 |
| **21** | राजस्थान | **34.10** | **11.43** | **20.32** | **37.43** | **7.71** | **17.63** | **38.57** | **6.31** | **18.67** |
| 22 | सिक्किम | 14.97 | 3.10 | 3.81 | 12.53 | 2.61 | 2.24 | 10.26 | 2.04 | 2.02 |

| | | फरवरी-23 | | | फरवरी-24 | | | फरवरी -25 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र. सं. | राज्य | ठिगनापन% | दुबलापन% | अल्पवजन% | ठिगनापन% | दुबलापन% | अल्पवजन% | ठिगनापन% | दुबलापन% | अल्पवजन% |
| 23 | तमिलनाडु | 19.27 | 5.15 | 9.43 | 15.08 | 3.98 | 7.05 | 13.76 | 3.46 | 6.40 |
| 24 | तेलंगाना | 27.27 | 4.86 | 13.41 | 29.25 | 4.63 | 12.55 | 33.39 | 5.25 | 15.44 |
| 25 | त्रिपुरा | 39.22 | 8.74 | 17.11 | 38.08 | 7.18 | 15.45 | 41.35 | 6.99 | 17.28 |
| 26 | उत्तर प्रदेश | 47.66 | 7.42 | 20.92 | 46.17 | 5.24 | 19.19 | 48.72 | 4.34 | 19.76 |
| 27 | उत्तराखंड | 33.29 | 7.54 | 9.05 | 34.23 | 5.77 | 8.31 | 23.76 | 2.40 | 6.21 |
| 28 | पश्चिम बंगाल | 40.77 | 9.59 | 15.26 | 37.36 | 8.21 | 12.01 | 35.22 | 6.57 | 11.01 |
| 29 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 25.41 | 6.73 | 10.71 | 20.19 | 4.34 | 7.67 | 8.33 | 2.11 | 3.62 |
| 30 | दादरा और नगर हवेली - दमन और दीव | 53.13 | 11.79 | 36.42 | 48.16 | 10.28 | 31.03 | 38.15 | 2.47 | 14.46 |

| | | फरवरी-23 | | | फरवरी-24 | | | फरवरी -25 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र. सं. | राज्य | ठिगनापन% | दुबलापन% | अल्पवजन% | ठिगनापन% | दुबलापन% | अल्पवजन% | ठिगनापन% | दुबलापन% | अल्पवजन% |
| 31 | दिल्ली | 22.40 | 2.01 | 10.01 | 38.43 | 2.00 | 15.92 | 42.90 | 2.51 | 17.81 |
| 32 | जम्मू एवं कश्मीर | 15.37 | 1.85 | 5.89 | 16.38 | 2.28 | 4.41 | 14.32 | 1.28 | 3.47 |
| 33 | लद्दाख | 22.32 | 3.66 | 6.67 | 13.13 | 0.89 | 2.58 | 10.31 | 0.19 | 1.54 |
| 34 | लक्ष द्वीप | एनए | एनए | एनए | 44.25 | 14.84 | 26.96 | 40.62 | 11.86 | 22.17 |
| 35 | पुद्दुचेरी | 26.59 | 8.21 | 11.53 | 32.69 | 7.44 | 11.25 | 41.13 | 7.36 | 13.22 |
| 36 | यूटी-चंडीगढ़ | 33.09 | 2.64 | 14.09 | 25.32 | 0.27 | 7.12 | 26.77 | 1.66 | 9.21 |
| | **कुल** | **39.37** | **7.71** | **18.44** | **38.22** | **6.26** | **16.52** | **39.09** | **5.35** | **16.60** |

(ख) उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में बच्चों (0-5 वर्ष) के संबंध में पोषण ट्रैकर द्वारा फरवरी 2023, फरवरी 2024 एवं फरवरी 2025 के कुपोषण संकेतकों का विवरण इस प्रकार है:

| | | फरवरी-23 | | | फरवरी -24 | | | फरवरी -25 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र. सं. | राज्य | ठिगनापन% | दुबलापन% | अल्पवजन% | ठिगनापन% | दुबलापन% | अल्पवजन% | ठिगनापन% | दुबलापन% | अल्पवजन% |
| 1 | मऊ जिला | 52.3 | 6.58 | 19.16 | 27.98 | 5.78 | 11.82 | 31.05 | 5.52 | 13.66 |

**अनुलग्नक-III**

श्री राजीव राय और श्री हनुमान बेनीवाल द्वारा "एनीमिया और कुपोषण" के संबंध में दिनांक 28.03.2025 को पूछे गए लोक सभा प्रश्न संख्या 4630 के भाग (क तथा घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

(क) एनएफएचएस 4 और एनएफएचएस 5 के अनुसार 15-49 वर्ष की महिलाओं में एनीमिया की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार व्याप्तता इस प्रकार है:

| **क्र.सं.** | **राज्य/संघ राज्य क्षेत्र** | **एनएफएचएस 4 (2015-16)** | **एनएफएचएस 5 (2019-21)** |
|---|---|---|---|
| 1 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 65.7 | 57.5 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 60 | 58.8 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 43.2 | 40.3 |
| 4 | असम | 46 | 65.9 |
| 5 | बिहार | 60.3 | 63.5 |
| 6 | चंडीगढ़ | 75.9 | 60.1 |
| 7 | छत्तीसगढ़ | 47 | 60.8 |
| 8 | दिल्ली | 54.3 | 49.9 |
| 9 | डीएनएच एवं डीडी | 72.9 | 62.5 |
| 10 | गोवा | 31.3 | 39 |
| 11 | गुजरात | 54.9 | 65 |
| 12 | हरियाणा | 62.7 | 60.4 |
| 13 | हिमाचल प्रदेश | 53.5 | 53 |
| 14 | जम्मू एवं कश्मीर | 48.9 | 55.9 |
| 15 | झारखंड | 65.2 | 65.3 |
| 16 | कर्नाटक | 44.8 | 47.8 |
| 17 | केरल | 34.3 | 36.3 |
| 18 | लद्दाख | 78.4 | 92.8 |
| 19 | लक्षद्वीप | 46 | 25.8 |
| 20 | मध्य प्रदेश | 52.5 | 54.7 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 21 | महाराष्ट्र | 48 | 54.2 |
| 22 | मणिपुर | 26.4 | 29.4 |
| 23 | मेघालय | 56.2 | 53.8 |
| 24 | मिजोरम | 24.8 | 34.8 |
| 25 | नागालैंड | 27.9 | 28.9 |
| 26 | ओडिशा | 51 | 64.3 |
| 27 | पुद्दुचेरी | 52.4 | 55.1 |
| 28 | पंजाब | 53.5 | 58.7 |
| 29 | राजस्थान | 46.8 | 54.4 |
| 30 | सिक्किम | 34.9 | 42.1 |
| 31 | तमिलनाडु | 55 | 53.4 |
| 32 | तेलंगाना | 56.6 | 57.6 |
| 33 | त्रिपुरा | 54.5 | 67.2 |
| 34 | उत्तराखंड | 45.2 | 42.6 |
| 35 | उत्तर प्रदेश | 52.4 | 50.4 |
| 36 | पश्चिम बंगाल | 62.5 | 71.4 |

(ख) उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में 15-49 वर्ष की महिलाओं में एनीमिया की व्याप्तता इस प्रकार है:

| **क्र.सं.** | जिला | एनएफएचएस **4 (2015-16)** | एनएफएचएस **5 (2019-21)** |
|---|---|---|---|
| 1 | मऊ जिला, उत्तर प्रदेश | 53.3 | 44.3 |

**अनुलग्नक-IV**

श्री राजीव राय और श्री हनुमान बेनीवाल द्वारा "एनीमिया और कुपोषण" के संबंध में दिनांक 28.03.2025 को पूछे गए लोक सभा प्रश्न संख्या 4630 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

मिशन पोषण 2.0 के अंतर्गत पोषण ट्रैकर से प्राप्त फरवरी 2025 माह के लाभार्थियों का राज्यवार विवरण इस प्रकार है:

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | गर्भवती महिलाएं | स्तनपान कराने वाली माताएं | बच्चे (0-6 माह) | बच्चे (6 माह-3 वर्ष) | बच्चे (3-6 वर्ष) | किशोरियां |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 695 | 645 | 614 | 6644 | 3839 | 0 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 208927 | 186268 | 173738 | 1314284 | 1147208 | 47723 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 1983 | 2115 | 2443 | 31541 | 51065 | 15613 |
| 4 | असम | 119228 | 113068 | 121754 | 1028018 | 1604001 | 397052 |
| 5 | बिहार | 529019 | 477117 | 339213 | 3830934 | 5360475 | 240386 |
| 6 | छत्तीसगढ़ | 160289 | 141044 | 133199 | 999069 | 1104531 | 105336 |
| 7 | दादरा और नगर हवेली - दमन और दीव | 2698 | 2392 | 2325 | 15781 | 14163 | 0 |
| 8 | दिल्ली | 52506 | 61039 | 60985 | 327810 | 149270 | 0 |
| 9 | गोवा | 3352 | 4175 | 4000 | 31814 | 14494 | 0 |
| 10 | गुजरात | 198295 | 200488 | 191424 | 1373272 | 1488658 | 62225 |
| 11 | हरियाणा | 113191 | 112195 | 93583 | 687805 | 949698 | 12716 |
| 12 | हिमाचल प्रदेश | 31407 | 34351 | 34425 | 207015 | 239387 | 16179 |
| 13 | जम्मू एवं कश्मीर | 49065 | 44284 | 38298 | 339479 | 416092 | 25851 |
| 14 | झारखंड | 158426 | 125708 | 113587 | 1210165 | 1492335 | 234642 |
| 15 | कर्नाटक | 329486 | 253970 | 218317 | 1757711 | 1804940 | 74301 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | केरल | 112454 | 89240 | 86693 | 713605 | 1040109 | 17847 |
| 17 | लद्दाख | 1026 | 912 | 805 | 7677 | 8713 | 0 |
| 18 | लक्षद्वीप | 365 | 350 | 360 | 2725 | 890 | 0 |
| 19 | मध्य प्रदेश | 419802 | 375744 | 345414 | 2631293 | 3583766 | 136523 |
| 20 | महाराष्ट्र | 305956 | 317466 | 302763 | 2371079 | 3248759 | 105512 |
| 21 | मणिपुर | 7861 | 8573 | 9223 | 93664 | 165062 | 42205 |
| 22 | मेघालय | 5746 | 7246 | 8159 | 112833 | 217094 | 39875 |
| 23 | मिजोरम | 5201 | 3810 | 3992 | 39549 | 61188 | 18253 |
| 24 | नागालैंड | 733 | 1128 | 1290 | 35743 | 64063 | 23937 |
| 25 | ओडिशा | 267185 | 221665 | 210010 | 1419642 | 1812135 | 250204 |
| 26 | पुद्दुचेरी | 2798 | 3121 | 2757 | 22718 | 5006 | 0 |
| 27 | पंजाब | 74994 | 95235 | 95610 | 615848 | 740158 | 34055 |
| 28 | राजस्थान | 294775 | 268013 | 223427 | 1772868 | 1692870 | 40468 |
| 29 | सिक्किम | 1251 | 1396 | 1441 | 11035 | 16967 | 7305 |
| 30 | तमिलनाडु | 288558 | 245948 | 239178 | 1674903 | 1768735 | 44341 |
| 31 | तेलंगाना | 143216 | 119385 | 117398 | 909523 | 863495 | 22019 |
| 32 | त्रिपुरा | 13945 | 11937 | 11527 | 112525 | 166712 | 33072 |
| 33 | यूटी-चंडीगढ़ | 2943 | 3008 | 3013 | 15801 | 17452 | 0 |
| 34 | उत्तर प्रदेश | 1258898 | 1095709 | 1029451 | 9017357 | 9520739 | 175366 |
| 35 | उत्तराखंड | 53533 | 57422 | 52562 | 358273 | 250480 | 71041 |
| 36 | पश्चिम बंगाल | 503299 | 473380 | 475343 | 3103608 | 4032925 | 0 |
| | कुल योग | **5723106** | **5159547** | **4748321** | **38203611** | **45117474** | **2294047** |

**अनुलग्नक-V**

श्री राजीव राय और श्री हनुमान बेनीवाल द्वारा "एनीमिया और कुपोषण" के संबंध में दिनांक 28.03.2025 को पूछे गए लोक सभा प्रश्न संख्या 4630 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

(क) मिशन पोषण **2.0** और एनीमिया मुक्त भारत के अंतर्गत आवंटित निधि का वर्षवार विवरण इस प्रकार है**:**

राशि (करोड़ रुपये में)

| **क्र.सं.** | **वर्ष** | **मिशन पोषण 2.0** | **एनीमिया मुक्त भारत** |
|---|---|---|---|
| 1. | **2021-22** | 19,999.55 | 2203.71 |
| 2. | **2022-23** | 20,263.07 | 823.00 |
| 3. | **2023-24** | 22,022.99 | 862.80 |

(ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान मिशन पोषण 2.0 के अंतर्गत राज्यों को जारी निधि का राज्यवार विवरण इस प्रकार है:

राशि (करोड़ रुपये में)

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25* |
|---|---|---|---|---|---|
| | | जारी निधि | जारी निधि | जारी निधि | जारी निधि |
| 1 | अंडमान व निकोबार द्वीप समूह | 19.71 | 3.85 | 12.15 | 7.56 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 744.60 | 827.79 | 705.68 | 521.79 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 170.83 | 137.78 | 162.06 | 72.28 |
| 4 | असम | 1319.90 | 1651.63 | 2233.31 | 1792.07 |
| 5 | बिहार | 1574.43 | 1740.09 | 1859.29 | 2001.73 |
| 6 | चंडीगढ़ | 15.32 | 33.10 | 19.79 | 14.17 |
| 7 | छत्तीसगढ़ | 606.73 | 668.96 | 579.46 | 549.31 |
| 8 | दादरा और नगर हवेली-दमन और दीव | 9.33 | 5.80 | 11.97 | 9.13 |
| 9 | दिल्ली | 133.11 | 182.77 | 161.81 | 151.72 |

राशि (करोड़ रुपये में)

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25* |
|---|---|---|---|---|---|
| | | जारी निधि | जारी निधि | जारी निधि | जारी निधि |
| 10 | गोवा | 10.84 | 14.71 | 13.95 | 11.95 |
| 11 | गुजरात | 839.86 | 912.64 | 1126.80 | 308.66 |
| 12 | हरियाणा | 173.03 | 195.25 | 225.78 | 177.52 |
| 13 | हिमाचल प्रदेश | 247.99 | 270.24 | 301.09 | 245.60 |
| 14 | जम्मू एवं कश्मीर | 405.74 | 479.01 | 530.88 | 488.97 |
| 15 | झारखंड | 352.98 | 430.91 | 664.30 | 451.12 |
| 16 | कर्नाटक | 1003.70 | 765.87 | 912.96 | 823.42 |
| 17 | केरल | 388.23 | 444.98 | 306.64 | 267.67 |
| 18 | लद्दाख | 14.70 | 18.79 | 19.62 | 14.64 |
| 19 | लक्षद्वीप | 2.11 | 0.44 | 2.88 | 1.34 |
| 20 | मध्य प्रदेश | 1085.47 | 1011.57 | 1123.11 | 1144.54 |
| 21 | महाराष्ट्र | 1713.39 | 1646.17 | 1699.52 | 1334.02 |
| 22 | मणिपुर | 228.92 | 135.95 | 201.28 | 203.62 |
| 23 | मेघालय | 173.33 | 192.39 | 269.69 | 84.79 |
| 24 | मिजोरम | 59.32 | 42.81 | 100.27 | 31.27 |
| 25 | नागालैंड | 159.80 | 199.30 | 262.91 | 138.91 |
| 26 | ओडिशा | 1065.98 | 923.92 | 968.80 | 781.29 |
| 27 | पुद्दुचेरी | 2.78 | 0.12 | 4.48 | 3.68 |
| 28 | पंजाब | 383.52 | 75.31 | 307.87 | 253.84 |
| 29 | राजस्थान | 682.65 | 974.02 | 1091.96 | 736.09 |
| 30 | सिक्किम | 25.73 | 20.33 | 33.49 | 1.66 |
| 31 | तमिलनाडु | 655.38 | 766.81 | 880.79 | 526.37 |
| 32 | तेलंगाना | 482.33 | 550.69 | 507.87 | 287.94 |

राशि (करोड़ रुपये में)

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25* |
|---|---|---|---|---|---|
| | | जारी निधि | जारी निधि | जारी निधि | जारी निधि |
| 33 | त्रिपुरा | 186.72 | 150.52 | 244.22 | 81.81 |
| 34 | उत्तर प्रदेश | 2407.55 | 2721.87 | 2668.69 | 2060.25 |
| 35 | उत्तराखंड | 353.65 | 425.84 | 288.24 | 159.10 |
| 36 | पश्चिम बंगाल | 668.35 | 1227.59 | 1237.56 | 1266.17 |
| कुल | | 18368.01 | 19849.82 | 21741.17 | 17006.1 |

* 28 फरवरी 2025 तक जारी की गई निधि

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत पोषण कार्यक्रमों के लिए राज्यों को एसपीआईपी अनुमोदन और खर्च का राज्यवार विवरण इस प्रकार है:

राशि (करोड़ रुपये में)

| **क्र. सं.** | **राज्य/संघ राज्य क्षेत्र** | **2021-22*** | | **2022-23** | | **2023-24** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | अनुमोदन | खर्च | अनुमोदन | खर्च | अनुमोदन | खर्च |
| **1** | अंडमान व निकोबार द्वीप समूह | 42.92 | 1.67 | 36.1 | 7.7 | 71.7 | 11.1 |
| **2** | आंध्र प्रदेश | 3,789.23 | 3,595.01 | 10237.6 | 3668.4 | 10,069.8 | 8,107.0 |
| **3** | अरुणाचल प्रदेश | 469.99 | 271.61 | 259.8 | 229.6 | 268.8 | 2.4 |
| **4** | असम | 3,581.65 | 2,772.85 | 3327.8 | 2786.6 | 3,045.5 | 2,350.5 |
| **5** | बिहार | 1,616.20 | 1,004.23 | 11984.5 | 1992.2 | 11,943.3 | 3,192.7 |
| **6** | चंडीगढ़ | 4.15 | 1.75 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.7 |
| **7** | छत्तीसगढ़ | 5,514.90 | 3,392.78 | 3681.0 | 3328.0 | 3,517.7 | 1,728.4 |
| **8** | डीएनएच-डीडी | 73.00 | 37.25 | 29.1 | 11.7 | 27.7 | 4.9 |
| **9** | दिल्ली | 1,287.10 | 105.47 | 862.8 | 26.5 | 850.7 | 49.2 |
| **10** | गोवा | 50.37 | 15.91 | 159.5 | 60.3 | 159.5 | 39.9 |

राशि (करोड़ रुपये में)

| क्र. सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 2021-22* | | 2022-23 | | 2023-24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | अनुमोदन | खर्च | अनुमोदन | खर्च | अनुमोदन | खर्च |
| **11** | गुजरात | 7,384.49 | 5,210.48 | 4759.5 | 2467.5 | 4,383.8 | 4,361.1 |
| **12** | हरियाणा | 1,620.39 | 1,662.66 | 2283.2 | 2770.2 | 2,326.2 | 2,592.2 |
| **13** | हिमाचल प्रदेश | 526.31 | 291.94 | 506.8 | 214.9 | 268.1 | 199.8 |
| **14** | जम्मू एवं कश्मीर | 1,595.43 | 393.83 | 1192.2 | 551.3 | 1,332.2 | 81.8 |
| **15** | झारखंड | 5,585.63 | 1,198.62 | 8578.4 | 3593.0 | 7,943.5 | 2,007.9 |
| **16** | कर्नाटक | 3,871.08 | 2,257.98 | 4597.8 | 618.7 | 5,196.2 | 1,408.6 |
| **17** | केरल | 653.25 | 231.14 | 3347.8 | 1266.3 | 3,087.8 | 370.8 |
| **18** | लद्दाख | 92.53 | 18.66 | 52.5 | 14.2 | 32.9 | 15.4 |
| **19** | लक्षद्वीप | 6.98 | 0.45 | 8.5 | 5.5 | 6.3 | 2.5 |
| **20** | मध्य प्रदेश | 9,236.78 | 6,549.28 | 15453.0 | 9289.7 | 20,025.9 | 9,240.5 |
| **21** | महाराष्ट्र | 6,171.02 | 5,281.94 | 10497.6 | 3211.9 | 10,599.7 | 3,527.5 |
| **22** | मणिपुर | 530.32 | 85.26 | 281.1 | 63.1 | 275.1 | 48.3 |
| **23** | मेघालय | 634.95 | 259.07 | 690.2 | 463.2 | 713.0 | 80.7 |
| **24** | मिजोरम | 197.64 | 66.55 | 238.3 | 30.3 | 187.9 | 89.8 |
| **25** | नागालैंड | 373.35 | 145.46 | 350.8 | 32.1 | 522.8 | 59.8 |
| **26** | ओडिशा | 5,446.05 | 3,973.61 | 4844.1 | 1328.6 | 3,889.4 | 2,154.5 |
| **27** | पुद्दुचेरी | 44.76 | 26.75 | 259.2 | 113.1 | 288.2 | 33.3 |
| **28** | पंजाब | 1,330.00 | 882.77 | 1351.7 | 187.6 | 1,320.0 | 1,320.0 |
| **29** | राजस्थान | 5,365.19 | 2,473.80 | 6303.7 | 2036.4 | 5,919.4 | 2,051.3 |
| **30** | सिक्किम | 66.71 | 6.72 | 85.6 | 57.1 | 71.7 | 56.3 |
| **31** | तमिलनाडु | 826.56 | 863.41 | 2309.2 | 903.7 | 2,305.2 | 1,486.2 |
| **32** | तेलंगाना | 2,176.58 | 1,683.48 | 3741.5 | 4819.7 | 3,687.7 | 325.5 |
| **33** | त्रिपुरा | 282.49 | 190.99 | 894.5 | 167.4 | 939.3 | 766.5 |
| **34** | उत्तर प्रदेश | 21,449.8 | 8,398.65 | 20060.2 | 2213.6 | 39,441.5 | 11,311.1 |
| **35** | उत्तराखंड | 547.13 | 203.83 | 1866.5 | 384.2 | 2,005.5 | 472.9 |

राशि (करोड़ रुपये में)

| **क्र. सं.** | **राज्य/संघ राज्य क्षेत्र** | **2021-22*** | | **2022-23** | | **2023-24** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | अनुमोदन | खर्च | अनुमोदन | खर्च | अनुमोदन | खर्च |
| **36** | पश्चिम बंगाल | 5,638.77 | 8,311.85 | 3877.8 | 2470.0 | 4,081.9 | 3,034.8 |

1. एसपीआईपी अनुमोदन और खर्च राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत उपलब्ध वित्तीय प्रबंधन रिपोर्ट के अनुसार है और अनंतिम है।
2. खर्च में केंद्र से जारी राशि में से किया गया खर्च, संबंधित राज्य का हिस्सा और वर्ष की शुरुआत में अव्ययित शेष राशि शामिल है।
3. * इसमें सभी सीएच कार्यक्रमों जैसे एमएए, एनडीडी, एएमबी, एनआरसी, वीआईटीए, आईएमएनसीआई, एफ-आईएमएनसीआई, आईडीसीएफ, एचबीवाईसी, एचबीएनसी, एनबीएसयू, एनएसएसके, एसएनसीयू, केएमसी, एसएएएनएस, परिवार भागीदारी देखभाल, सीडीआर, पीएईडी-एचडीयू इत्यादि के लिए बजट आवंटन शामिल है।
4. एसपीआईपी-राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना

****